



बैंकगि तथा वत्तित्तीय धोखाधडी पर सलाहकार बोर्ड

[स्रोत: बजिनेस लाइन](#)

केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) ने बैंक धोखाधडी मामलों की जाँच को मज़बूती प्रदान करने के लिये बैंकगि और वत्तित्तीय धोखाधडी पर सलाहकार बोर्ड (ABBFF) का पुनर्गठन कया है।

बैंकगि और वत्तित्तीय धोखाधडी पर सलाहकार बोर्ड (ABBFF):

परचिय:

- केंद्रीय अनुवेषण बयुरो (CBI) जैसी जाँच एजेंसियों को भेजे जाने से पहले ABBFF बैंक धोखाधडी मामलों के लिये प्रथम-सतरीय परीक्षण नकियाय के रूप में कार्य करता है।
 - ABBFF को वत्तित्तीय प्रणाली के भीतर आवधकि धोखाधडी वशिलेषण करने का अधकार है।
- यह भारतीय रज़िर्व बैंक (RBI) और CVC जैसे नयामक नकियायों को धोखाधडी की रोकथाम एवं प्रबंधन से संबंधति अंतरदृष्टि तथा नीतगित सफ़िराशें प्रदान करता है।

संरचना एवं कार्यकाल:

- पुनर्गठति ABBFF बोर्ड में अधयकष और चार अन्य सदस्य शामिल हैं, जनिमें से प्रत्येक धोखाधडी से संबंधति मामलों में अपनी वशिलेषणता का योगदान दे रहे हैं।
- ABBFF के अधयकष और सदस्य दो वर्ष के कार्यकाल के लिये अपने पद पर बने रहते हैं।

अनवार्य रेफरल और सलाहकार भूमकि:

- सभी सार्वजनकि कषेत्र के बैंकों, बीमा कंपनयों और वत्तित्तीय संस्थानों को आपराधकि जाँच शुरू करने से पहले 3 करोड रुपए से अधकि के धोखाधडी के मामलों को ABBFF को संदर्भति करना आवश्यक है।
- अधकारियों की आपराधकिता और दुर्भावना (बेईमान के साथ कार्य करना) के संबंध में ABBFF द्वारा दी गई सलाह पर सकषम प्राधकिारी द्वारा वचिर कया जाना चाहयि।
- ABBFF का दायरा CVC या CBI द्वारा संदर्भति मामलों के लिये सलाहकार सहायता प्रदान करने तक वसितृत है।

"सन सेट क्लॉज़" की अनुपस्थति:

- वशिलेषण रूप से "सनसेट क्लॉज़" की अवधारणा, जसिमें एक नरिदषिट अवधकि के बाद क्रेडिट नरिणयों के लिये बैंकरों के खलिाफ सीमति कार्रवाई हो सकती है, को ABBFF के कामकाज़ में शामिल नहीं कया गया है।

केंद्रीय सतर्कता आयोग (Central Vigilance Commission- CVC):

परचिय:

- केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना सरकार द्वारा वर्ष 1964 में के. संथानम की अधयकषता वाली भ्रष्टाचार नवारण समति की सफ़िराशों पर की गई थी, ताकि सतर्कता के कषेत्र में केंद्र सरकार की एजेंसियों को सलाह और उनका मार्गदर्शन कया जा सके।
- संसद ने केंद्रीय सतर्कता आयोग को वैधानकि दर्जा प्रदान करते हुए केंद्रीय सतर्कता आयोग अधनियम, 2003 को अधनियमति कया।

सदस्य:

- इसमें एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और अधकितम दो सतर्कता आयुक्त होते हैं, जनिकी नयुक्ति प्रधानमंत्री, गृह मंत्री तथा लोकसभा में वपिकष के नेताओं द्वारा गठति समति की सफ़िराशि पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
 - ये चार वर्ष की अवधकि के लिये अथवा 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, पद पर बने रहते हैं।

कार्य:

- यह आयोग भ्रष्टाचार या पद के दुरुपयोग की शकियातों पर उचति कार्रवाई की सफ़िराशि करता है।
 - नमिनलखिति संस्थान, नकियाय अथवा कोई व्यकृति CVC से संपर्क कर सकता है:
 - केंद्र सरकार, लोकपाल, वहसिलि बलोअरस।
 - यह कोई जाँच एजेंसी नहीं है, CVC या तो सीबीआई के माध्यम से या फरि सरकारी कार्यालयों में मुखय सतर्कता अधकारियों के माध्यम से जाँच करवाती है।

- इसे वशिष्ट श्रेणियों के लोक सेवकों द्वारा [भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988](#) के तहत किये गए कथित अपराधों की जाँच करने का अधिकार है।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/advisory-board-on-banking-and-financial-frauds>

